न्यायालय– मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, डीडवाना।
(न्यायालय– अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना।)

पीठासीन अधिकारी – **मनोरमा मीणा, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)

एमएसीटी प्रकरण सं.– 22/2022
सी एन आर नम्बर RJDK010001762022

1. सोहनी देवी पत्नि श्री स्व. श्रवणराम उम्र 43 वर्ष, (मृतक की पत्नी)
2. रूपाराम पुत्र श्री स्व. श्रवणराम उम्र 25 वर्ष, (मृतक का पुत्र)
3. महावीर पुत्र श्री स्व. श्रवणराम उम्र 23 वर्ष, (मृतक का पुत्र)
4. कालुराम पुत्र श्री चन्द्राराम उम्र 75 वर्ष, (मृतक का पिता)
5. धापु देवी पत्नि श्री कालुराम उम्र 72 वर्ष, (मृतक की माता)

समस्त जाति मेघवाल निवासीगण नौरंगपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र श्री रावताराम जाति मेघवाल उम्र 42 वर्ष निवासी आजवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।

(वाहन चालक ब्रेजा नम्बर KA–04 MS–1961

2. अमर सिह पुत्र श्री रावल जाति प्रजापत उम्र 40 वर्ष निवासी मागढ़ी मैन रोड तुगानगर महरौल बंगलोर।

(वाहन स्वामी ब्रेजा नम्बर KA–04 MS–1961)

शाखा प्रबंधक– United India Insurance Company Ltd. Address Fort Road. Nagaur, Rajasthan – 341001 (बीमा कम्पनी वाहन ब्रेजा नम्बर KA–04 MS–1961 बीमा अवधि 20–10–2020 से 19–10–2021 तक)

–अप्रार्थीगण

याचिका अन्तर्गत धारा 166 एवं सपठित धारा 140 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित संशोधित अधिनियम 1994

उपस्थिति:–

1. श्री अशोक कुमार भाकर, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री रणजीत सिंह बलारा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री विक्रम कुड़ी, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से
4. श्री कमल मोठ, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से

<u>अधिनिर्णय</u>

<u>दिनांकः– 17.07.2026</u>

1. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण सोहनी देवी वगैरह की ओर से मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 व 1994 की धारा 140 के अंतर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह याचिका बाबत दिलवाये जाने क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः 1,48,35,000/–रुपये एवं ब्याज व खर्चा हेतु अधिकरण के समक्ष पेश की गई।

2. याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि मृतक श्रवणराम व उसका भाई मुकनाराम दिनांक 20–07–2021 को रात्रि करीब 10:30–11:00 बजे पड़िहारा से अपने ग्राम नौरंगपुरा लाल रंग की ब्रेजा गाडी नम्बर KA–04 MS–1961 में बैठकर आ रहे थे। तभी पड़िहारा स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा से आगे उक्त वाहन के चालक तुलछाराम ने गाड़ी को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण मोड़ में गाड़ी पलटी खा गई। जिससे मृतक व उसके भाई के चोटे आई तथा उन्हें घायल अवस्था में सुजानगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल मे लेकर आये। जहां पर मृतक श्रवणराम के गम्भीर चोटे होने के कारण प्राथमिक उपचार कर हायर सेन्टर रेफर कर दिया। जहां से मृतक श्रवणराम को सवाई मानसिंह अस्पताल सोनी ट्रोमा सेन्टर जयपुर में दिनांक 21–07–2021 को भर्ती करवाया गया। लेकिन दुर्घटना में गम्भीर चोटे आने के कारण ईलाज के दौरान दिनाक 24–07–2021 को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना वाहन चालक तुलछाराम द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाने से घटित हुई हैं तथा उपरोक्त वाहन ब्रेजा वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 2 के लाभार्थ हितार्थ निर्देशन में चला रहा था।

3. उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 321/2021 दिनांक 15.08.2021 को पुलिस थाना रतनगढ़ जिला चूरू में धारा 279, 337, 304 ए भा.दं.सं. में पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान वाहन चालक अप्रार्थी सं० 1 के विरूद्ध धारा 279, 337, 304 ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण सोहनी देवी वगैरह द्वारा यह अभिवचन किया गया था कि मृतक वर्ष 1992 से 2018 तक विदेश में मजदूरी का काम करता था और लॉक डान होने के कारण वक्त दुर्घटना आस–पास के क्षेत्र में भवन निर्माण का ठेका लेता था और 50 हजार रुपए प्रतिमाह कमाता था । वक्त दुर्घटना उसकी आयु लगभग 55 वर्ष थी। प्रार्थीगण मृतक पर आश्रित थे । अंत में प्रार्थीगण ने आय की क्षति के कुल 1,48,35,000/–रुपये एवं ब्याज व खर्चा दिलाये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी संख्या 1 तुलछाराम की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत करते हुए क्लेम याचिका के सारवान् अभिकथनों को अस्वीकार किया गया एवं अभिवचन किया गया कि प्रार्थीगण ने क्लेम राशि बढ़ाचढ़ाकर अंकित की है । अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रश्नगत वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से नहीं चलाया है । अतः क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है ।

5. अप्रार्थी संख्या 2 अमर सिंह की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत करते हुए क्लेम याचिका के सारवान् अभिकथनों को अस्वीकार किया गया एवं अभिवचन किया गया कि प्रार्थीगण ने क्लेम राशि बढ़ाचढ़ाकर अंकित की है । अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रश्नगत वाहन को

तेज गति एवं लापरवाही से नहीं चलाया है । फिर भी यदि न्यायालय प्रश्नगत दुर्घटना में उक्त वाहन की संलिप्तता पाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 के पास वक्त दुर्घटना वाहन चलाने का वैध लाईसेंस था और उक्त वाहन ब्रेजा नम्बर **के ए 04 एम एस 1961** अप्रार्थी संख्या 03 के यहाँ बीमित था, इसलिए क्लेम राशि की अदायगी के लिए अप्रार्थी संख्या 03 जिम्मेदार है । अतः क्लेम याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है ।

6. अप्रार्थी सं. 3 बीमा कम्पनी ने प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार करते हुए कथन किया कि उक्त दुर्घटना कारित करने में वाहन कार **के ए 04 एम एस 1961** 1 की कोई संलिप्तता नहीं रही है, उसे केवल क्लेम लेने के लिए बीमित होने के कारण संलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा जो क्षतिपूर्ति की राशि मांगी गई है काल्पनिक है व मनगढ़त रूप से बढ़ा चढ़ा कर दर्शायी गई है। वाहन स्वामी के पास वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पीयूसी, टैक्स, परमिट, बीमा आदि नहीं होने के कारण बीमा कम्पनी इस दावे के लिए उत्तरायी नहीं है । वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस नहीं था, फिर भी वाहन स्वामी ने चालक को वाहन चलाने के लिए दिया । इसलिए बीमा पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन होने से प्रार्थीगण क्लेम राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । घटना का कोई भी चश्मदीद साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है । अंत में क्लेम याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः

1) आया दिनांक 20.07.2021 को रात्रि करीब 10.30-11.00 बजे के लगभग प्डिहारा स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा के पास विपक्षी नम्बर 1 तुलछाराम ने गाड़ी ब्रेजा नम्बर के ए 04 एम एस 1961 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया, जिससे गाड़ी पलटी खा गई, जिसके कारण उसमें सवार मृतक श्रवणराम के गम्भीर चोटें आई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई ?

प्रार्थीगण

2) आया विपक्षीगण द्वारा जवाब में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर उनका कोई दायित्व नहीं है?

अप्रार्थीगण

3) आया प्रार्थीगण सोहनी देवी वगैरह 1,48,35,000/-रुपये या अन्य कोई राशि प्रतिकर में विपक्षीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हां, तो कितनी व किस किस से व किस कदर?

प्रार्थीगण

4) अनुतोष ?

8. **प्रार्थीगण सोहनी देवी वगैरह** की ओर से याचिका के समर्थन में ए ड 1 सोहनी देवी, ए ड 2 मुकनाराम, ए डब्ल्यू 03 महावीर को परीक्षित करवाया व दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, ब्रेजा कार का इन्यारेंस कवर नोट प्रदर्श 2, तुलछाराम का

ड्राइविंग लाईसेन्स प्रदर्श 03, वाहन की आर सी प्रदर्श 04, ब्रेजा गाड़ी का पोल्युशन सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 05, धारा 133 एम वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श 6, ब्रेजा गाडी का मेकैनिकल मुआयना प्रदर्श 07, फर्द जप्ती प्रदर्श 08, घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श 09, हालात मौका प्रदर्श 10, पंचनामा प्रदर्श पी 11, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 12, चाक एफआईआर प्रदर्श 13, चार्जशीट प्रदर्श 14, मृतक का पासपोर्ट प्रदर्श 15 व फोटोप्रति प्रदर्श 15 ए, मृतक का वर्ष 2002 से 2012 का पासपोर्ट प्रदर्श 16 व फोटोप्रति प्रदर्श 16 ए, मृतक का वर्ष 1992 से 2002 का पासपोर्ट प्रदर्श 17 व फोटोप्रति प्रदर्श 17 ए, मृतक के विदेश से तनख्वाह प्राप्त करने के कार्ड प्रदर्श 18 से प्रदर्श 25 जिनकी फोटोप्रति प्रदर्श 18 ए से प्रदर्श 25 ए, मृतक के जयपुर में दिए पुलिस को सूचना का पत्र प्रदर्श 26 व 27 को प्रदर्शित करवाया ।

9. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ।

10. उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । विवाद्यकवार न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

विवाद्यक सं. 1 एवं 2

11. विवाद्यक संख्या 1 एवं 2 दोनों एक दूसरे से संबंधित होने, साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए इन दोनों विवाद्यकों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

12. विवाद्यक संख्या 1 में प्रार्थीगण को यह साबित करना है कि **"आया दिनांक 20.07.2021 को रात्रि करीब 10.30–11.00 बजे के लगभग प़डिहारा स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा के पास विपक्षी नम्बर 1 तुलछाराम ने गाड़ी ब्रेजा नम्बर के ए 04 एम एस 1961 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया, जिससे गाड़ी पलटी खा गई, जिसके कारण उसमें सवार मृतक श्रवणराम के गम्भीर चोटें आई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई?"**

13. विवाद्यक संख्या 2 में अप्रार्थीगण को यह साबित करना है कि **"आया विपक्षीगण द्वारा जवाब में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर उनका कोई दायित्व नहीं है?"**

14. इस बाबत् उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का मामला साबित है। अंत में प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए, जिनका ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया–

01– National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi
2017 (2) ACTC (SC) 1201,
02– Manju Singh Vs. Avinash Singh & ORS.
SLP (c) No (s) 10565/20525

15. वहीं दूसरी ओर दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निवेदन

किया गया कि प्रश्नगत दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 1 की किसी भी प्रकार की तेज गति अथवा लापरवाही से कारित नहीं हुई है। प्रार्थीगण दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 1 की लापरवाही सिद्ध करने हेतु कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की याचिका निराधार होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

16. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया गया कि वाहन स्वामी की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विधि विरुद्ध कृत्य नहीं किया गया। दुर्घटना के समय वाहन का चालक वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारक था तथा वाहन विधिवत बीमित था। अतः यदि किसी प्रकार का प्रतिकर देय माना भी जाता है तो उसकी समस्त देयता बीमा कम्पनी की होगी, वाहन स्वामी की नहीं।

17. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण दुर्घटना में बीमित वाहन की संलिप्तता तथा चालक की लापरवाही को विधि अनुसार सिद्ध करने में असफल रहे हैं। दावा की गई प्रतिकर राशि अत्यधिक एवं काल्पनिक है। साथ ही बीमा कम्पनी द्वारा यह भी अभिवचन किया गया कि वाहन स्वामी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया तथा चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी प्रतिकर राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाई गई है, जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रार्थीगण की ओर से पेश नहीं किया गया है । प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल क्लेम प्राप्त करने के लिए मिथ्या रूप से सोच–समझकर दर्ज करवाई गई है । अंत में याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

18. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित गवाह **ए.डब्ल्यू.01 सोहनी देवी** ने शपथपूर्वक कथन किया कि दिनांक 20.07.2021 को रात्रि लगभग 10:30–11:00 बजे उसके पति श्रवणराम, देवर मुकनाराम एवं चालक तुलछाराम ब्रेजा कार संख्या **KA–04 MS–1961** से पड़िहारा से अपने गांव नौरंगपुरा आ रहे थे। पड़िहारा टोल प्लाजा से आगे चालक तुलछाराम ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर वाहन को पलटा दिया, जिससे उसके पति श्रवणराम के सिर एवं शरीर पर गंभीर चोटें आई तथा मुकनाराम भी घायल हो गया। घायल श्रवणराम को राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के उपरांत एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर रैफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। साक्षी ने यह भी कथन किया कि उक्त दुर्घटना चालक तुलछाराम की तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई। इस संबंध में साक्षी ने तहरीरी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति **प्रदर्श–1**, वाहन का बीमा कवर नोट **प्रदर्श–2**, चालक तुलछाराम का ड्राइविंग लाइसेंस **प्रदर्श–3**, वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र (आर.सी.) **प्रदर्श–4**, वाहन का प्रदूषण प्रमाण–पत्र **प्रदर्श–5**, धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम का नोटिस **प्रदर्श–6**, वाहन का यांत्रिक परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श–7**, जब्ती फर्द **प्रदर्श–8**, घटनास्थल का नक्शा मौका **प्रदर्श–9**, हालात मौका **प्रदर्श–10**, पंचनामा **प्रदर्श–11**, पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श–12**, चाक एफ.आई.आर. **प्रदर्श–13** तथा चालक तुलछाराम के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप–पत्र **प्रदर्श–14** को प्रदर्शित कराया। **जिरह** में अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना अपनी

आंखों से नहीं देखी थी तथा वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। जिरह में अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से भी साक्षी ने स्वीकार किया कि वह दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा घटना के संबंध में उसे जानकारी उसके देवर मुकनाराम से प्राप्त हुई थी। उसने यह भी कहा कि एफ.आई.आर. उसके पुत्र महावीर द्वारा दर्ज कराई गई थी तथा दुर्घटना के लगभग तीन दिन बाद उसके पति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

19. प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित **ए.डब्ल्यू.02 मुकनाराम** ने शपथपूर्वक कथन किया कि दिनांक 20.07.2021 को वह अपने भाई श्रवणराम एवं चालक तुलछाराम के साथ ब्रेजा कार संख्या **KA–04 MS–1961** में पड़िहारा से अपने गांव नौरंगपुरा आ रहा था। रात्रि लगभग 10:30–11:00 बजे पड़िहारा टोल प्लाजा से आगे चालक तुलछाराम ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मोड़ पर पलटा दिया, जिससे उसे एवं उसके भाई श्रवणराम को चोटें आई तथा श्रवणराम की गर्दन में गंभीर चोट लगी। उसने कथन किया कि घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा दोनों घायलों को सुजानगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से श्रवणराम को गंभीर चोटों के कारण एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर रैफर किया गया तथा उपचार के दौरान दिनांक 24.07.2021 को उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उक्त दुर्घटना वाहन चालक तुलछाराम द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने के कारण हुई। **जिरह** में अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय वह स्वयं उक्त वाहन में सवार था तथा वाहन की पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना स्थल पर बड़ा मोड़ था तथा उसके पुलिस कथन दिनांक 15.08.2021 को दर्ज किए गए थे। साक्षी ने इस सुझाव का खण्डन किया कि वह प्रार्थीगण को क्लेम दिलाने के उद्देश्य से झूठी साक्ष्य दे रहा है। **जिरह** में अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से साक्षी ने कथन किया कि वाहन पड़िहारा से ही तेज गति से चल रहा था तथा उसके भाई श्रवणराम ने चालक तुलछाराम को वाहन धीमी गति से चलाने के लिए कहा था, किन्तु चालक द्वारा गति कम नहीं की गई और आगे मोड़ पर वाहन पलट गया। उसने यह भी कथन किया कि दुर्घटना में श्रवणराम की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी तथा उसी चोट के कारण उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई। साक्षी ने यह भी कहा कि एफ.आई.आर. मृतक के पुत्र महावीर द्वारा दर्ज कराई गई थी तथा वह स्वयं घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल गया था। उसने इस सुझाव का भी खण्डन किया कि वाहन की गति का उसे ज्ञान नहीं था अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

20. प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित **ए.डब्ल्यू.03 महावीर** ने शपथपूर्वक कथन किया कि दिनांक 20.07.2021 को रात्रि लगभग 10:30–11:00 बजे उसके पिता श्रवणराम ब्रेजा कार संख्या **KA–04 MS–1961** में पड़िहारा से अपने गांव नौरंगपुरा आ रहे थे। पड़िहारा टोल प्लाजा से आगे चालक तुलछाराम ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मोड़ पर पलटा दिया, जिससे उसके पिता एवं उसके काका मुकनाराम को गंभीर चोटें आई। उसके पिता को पहले राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ ले जाया गया, जहां से गंभीर अवस्था होने के कारण एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर रैफर किया गया तथा उपचार के दौरान दिनांक 24.07.2021 को उनकी मृत्यु हो गई। साक्षी ने मृतक का पासपोर्ट **प्रदर्श–15 एवं 15 ए**, वर्ष 2002 से 2012 का पासपोर्ट **प्रदर्श–16 एवं 16 ए**, वर्ष 1992 से 2002 का

पासपोर्ट **प्रदर्श–17 एवं 17 ए**, विदेश से वेतन प्राप्ति संबंधी कार्ड **प्रदर्श–18 से प्रदर्श–25 एवं उनकी प्रतिलिपियां प्रदर्श–18 ए से प्रदर्श–25 ए**, तथा जयपुर में पुलिस को दिए गए सूचना पत्र **प्रदर्श–26 एवं प्रदर्श–27** को पहचान कर प्रदर्शित कराया तथा कथन किया कि उक्त दुर्घटना चालक तुलछाराम की लापरवाही के कारण हुई। **जिरह** में अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से साक्षी ने स्वीकार किया कि वह दुर्घटना के समय उक्त वाहन में सवार नहीं था तथा उसने दुर्घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। उसने कथन किया कि दुर्घटना की सूचना उसे रात्रि में दूरभाष के माध्यम से प्राप्त हुई तथा उसके काका मुकनाराम ने उसे बताया कि चालक तुलछाराम ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी के द्वारा दिनांक 15.08.2021 को दर्ज कराई गई थी तथा इस सुझाव का खण्डन किया कि क्लेम प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है। **जिरह** में अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से साक्षी ने भी स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी तथा दुर्घटना के संबंध में उसे जानकारी उसके काका मुकनाराम से प्राप्त हुई थी। उसने यह भी कथन किया कि दुर्घटना के पश्चात् वह अपने पिता के उपचार के दौरान जयपुर में उपस्थित रहा तथा एफ.आई.आर. उसी के द्वारा दर्ज कराई गई थी। साक्षी ने इस सुझाव का खण्डन किया कि प्रश्नगत वाहन को मिथ्या रूप से दुर्घटना में सम्मिलित कर झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है।

21. हस्तगत प्रकरण में हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित **ए.डब्ल्यू.01 सोहनी देवी** दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, तथापि उन्होंने दुर्घटना के पश्चात् मृतक को लगी चोटों, उसके उपचार एवं उपचार के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में कथन किया है। **ए.डब्ल्यू.02 मुकनाराम** दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी एवं स्वयं घायल साक्षी हैं। उन्होंने स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से कथन किया है कि दुर्घटना के समय वह स्वयं मृतक श्रवणराम एवं चालक तुलछाराम के साथ ब्रेजा कार संख्या KA–04 MS–1961 में सवार थे तथा चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण मोड़ पर वाहन पलट गया, जिससे उन्हें एवं मृतक को गंभीर चोटें आई। उनकी जिरह से उनके मुख्य कथन का कोई ऐसा महत्वपूर्ण विरोधाभास अथवा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। **ए.डब्ल्यू.03 महावीर** प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, किन्तु उसने दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने, अपने पिता के उपचार, उपचार के दौरान हुई मृत्यु तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में साक्ष्य दी है। उसकी जिरह से भी दुर्घटना, वाहन की संलिप्तता अथवा मृतक की मृत्यु के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं आया है।

22. प्रार्थीगण की मौखिक साक्ष्य का समर्थन अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से भी होता है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–1, धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम का नोटिस प्रदर्श–6, वाहन का यांत्रिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श–7, जब्ती फर्द प्रदर्श–8, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श–9, हालात मौका प्रदर्श–10, पंचनामा प्रदर्श–11, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–12, चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–13 एवं अनुसंधान उपरांत चालक तुलछाराम के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप–पत्र प्रदर्श–14 से यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत दुर्घटना उक्त वाहन

से घटित हुई तथा दुर्घटना में प्राप्त चोटों के कारण श्रवणराम की मृत्यु हुई। उल्लेखनीय है कि चालक तुलछाराम के विरुद्ध सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान के उपरांत आरोप–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर, अप्रार्थीगण द्वारा अपने बचाव के समर्थन में न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर लाई गई। मात्र जवाब याचिका में किए गए नकारात्मक अभिकथनों से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन नहीं माना जा सकता।

23. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जारी नोटिस **प्रदर्श–6** पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त नोटिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा वाहन स्वामी अमर सिंह से इस आशय का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जारी किया गया था कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन ब्रेजा संख्या **KA–04 MS–1961** किस व्यक्ति के नियंत्रण एवं संचालन में था। उक्त नोटिस के उत्तर में वाहन स्वामी द्वारा यह अभिवचन किया गया कि दुर्घटना के समय उक्त वाहन को अप्रार्थी संख्या 1 तुलछाराम चला रहा था। इस प्रकार धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस एवं उसके उत्तर से प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता तथा दुर्घटना के समय वाहन चालक के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 तुलछाराम की पहचान की पुष्टि होती है। इस दस्तावेज का खण्डन करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तथा न ही वाहन स्वामी ने साक्ष्य में उपस्थित होकर उक्त उत्तर का खण्डन किया। फलतः धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस एवं उसके उत्तर से प्रार्थीगण के कथन को पर्याप्त पुष्टता प्राप्त होती है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन का संचालन अप्रार्थी संख्या 1 तुलछाराम द्वारा किया जा रहा था।

24. प्रकरण में प्रस्तुत घटनास्थल का नक्शा मौका **प्रदर्श–9** एवं हालात मौका **प्रदर्श–10** के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा दुर्घटनास्थल को **मार्क 'X'** से चिह्नित किया गया है। उक्त स्थान वही स्थान है, जहाँ प्रश्नगत ब्रेजा कार संख्या **KA–04 MS–1961** चालक द्वारा तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाए जाने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई थी। नक्शा मौका एवं हालात मौका से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्घटना सड़क के मोड़ पर घटित हुई, जहाँ वाहन के पलटने की स्थिति का अंकन किया गया है। यह दस्तावेज ए.डब्ल्यू.02 मुकनाराम द्वारा वर्णित घटनाक्रम का समर्थन करता है कि चालक तुलछाराम द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण वाहन मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार श्रवणराम एवं मुकनाराम को गंभीर चोटें आईं। इन दस्तावेजों की सत्यता का खण्डन करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः नक्शा मौका एवं हालात मौका प्रार्थीगण के कथन की पुष्टि करते हैं।

25. पत्रावली पर उपलब्ध **पंचनामा प्रदर्श–1), पोस्टमार्टम रिपोर्ट(प्रदर्श–12** तथा अनुसंधान के दौरान तैयार की गई अन्य कार्यवाहियों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि दुर्घटना में घायल होने के उपरांत उपचार के दौरान श्रवणराम की मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित मृत्यु के कारण एवं अन्य दस्तावेजों से यह स्थापित होता है कि मृतक की मृत्यु वाहन दुर्घटना में प्राप्त गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। उक्त दस्तावेजों के विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा कोई चिकित्सकीय अथवा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे इन दस्तावेजों की सत्यता अथवा मृत्यु के कारण पर संदेह

उत्पन्न हो। अतः अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि श्रवणराम की मृत्यु दिनांक 20.07.2021 को हुई वाहन दुर्घटना में आई चोटों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप उपचार के दौरान दिनांक 24.07.2021 को हुई।

26. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता बीमा कम्पनी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 20.07.2021 को घटित हुई, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.08.2021 को दर्ज करवाई गई। अतः लगभग 26 दिवस के विलम्ब का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल प्रतिकर प्राप्त करने के उद्देश्य से विचार–विमर्श कर मिथ्या रूप से दर्ज करवाई गई है। तो इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दुर्घटना के तत्काल पश्चात् घायल श्रवणराम को गंभीर अवस्था में राजकीय चिकित्सालय, सुजानगढ़ ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसी रात्रि एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर रैफर कर दिया गया। ए.डब्ल्यू.02 मुकनाराम एवं ए.डब्ल्यू.03 महावीर के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मृतक का उपचार लगातार जयपुर में चलता रहा तथा उपचार के दौरान दिनांक **24.07.2021** को उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात् परिवारजन उपचार, मृत्यु तथा अंतिम संस्कार एवं अन्य आवश्यक सामाजिक एवं धार्मिक दायित्वों में व्यस्त रहे।

27. पत्रावली पर उपलब्ध **फर्द पंचायतनामा प्रदर्श–11** तथा **पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–12** का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दोनों दस्तावेज **दिनांक 24.07.2021** को **थाना अशोक नगर, जयपुर** द्वारा तैयार किए गए। इन दोनों दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से अंकित है कि श्रवणराम की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई। इससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि दिनांक 24.07.2021 को ही पुलिस के संज्ञान में दुर्घटना एवं उससे हुई मृत्यु का तथ्य आ चुका था तथा पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गई थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दुर्घटना की कहानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय पहली बार गढ़ी गई अथवा बाद में मनगढ़ंत रूप से बनाई गई।

28. इसके अतिरिक्त अनुसंधान के दौरान तैयार फर्द पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नक्शा मौका, वाहन की मैकेनिकल निरीक्षण रिपोर्ट एवं तत्पश्चात् चालक के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप–पत्र, सभी दस्तावेज परस्पर एक–दूसरे का समर्थन करते हैं तथा यह प्रमाणित करते हैं कि प्रश्नगत दुर्घटना वास्तविक रूप से घटित हुई थी और मृतक की मृत्यु उसी दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप हुई। इन दस्तावेजों की सत्यता को अप्रार्थीगण द्वारा किसी ठोस साक्ष्य से खण्डित भी नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में केवल इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.08.2021 को दर्ज हुई, यह निष्कर्ष निकालना कि दुर्घटना मिथ्या है अथवा केवल मोटर दुर्घटना दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कहानी गढ़ी गई है, न्यायोचित नहीं होगा। जब दुर्घटना, उपचार, मृत्यु तथा मृत्यु का कारण स्वतंत्र चिकित्सीय एवं पुलिस अभिलेखों से पूर्व से ही प्रमाणित हो चुके हैं, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुआ विलम्ब अपने आप में प्रार्थीगण के दावे को अविश्वसनीय नहीं बनाता। इसलिए बीमा कम्पनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब के आधार पर उठाई गई आपत्ति अस्वीकार की जाती है ।

29. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में दुर्घटना एवं चालक की लापरवाही का निर्धारण

आपराधिक वादों की भाँति **"संदेह से परे प्रमाण (proof beyond reasonable doubt)"** के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि **"संभावनाओं की प्रबलता (preponderance of probabilities)"** के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एक दीवानी प्रकृति का न्यायाधिकरण है, जिसका उद्देश्य पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को न्यायोचित प्रतिकर प्रदान करना है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है। यदि उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन से दुर्घटना एवं वाहन चालक की लापरवाही की संभावना अधिक प्रबल प्रतीत होती है, तो दावा केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आपराधिक वादों के समान प्रत्येक तथ्य संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Manju Singh v. Avinash Singh (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में प्रमाण का मानदंड preponderance of probabilities है, न कि proof beyond reasonable doubt। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकरण को उपलब्ध साक्ष्यों का यथार्थवादी एवं व्यावहारिक मूल्यांकन करते हुए मोटरयान अधिनियम के कल्याणकारी उद्देश्य को दृष्टिगत रखना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 20.07.2021 को ब्रेजा कार संख्या **KA-04 MS-1961** को अप्रार्थी संख्या 1 तुलछाराम द्वारा तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने के कारण वाहन पलट गया, जिससे श्रवणराम को गंभीर चोटें आईं और उन्हीं चोटों के परिणामस्वरूप उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई। अप्रार्थीगण अपने द्वारा उठाई गई आपत्तियों को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। फलस्वरूप विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध तथा विवाद्यक संख्या 2 अप्रार्थीगण के विरुद्ध एवं प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>**विवाद्यक संख्या-3**</u>

30. उपरोक्त दोनों विवाद्यकों के विवेचन से यह न्यायालय प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण सोहनी देवी वगैरह ने अपनी क्लेम याचिका में 1,48,35,000/-रुपये, प्रतिकर की मांग की है। इसके बाबत् प्रस्तुत प्रकरण में दायित्व का प्रश्न है, इस बाबत् स्थित को देखें तो प्रश्नगत वाहन घटना के दिन अप्रार्थी सं. 3 के यहां बीमित था। ऐसे में अप्रार्थी सं. 3 दायित्वाधीन है।

31. उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 03 प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध निम्नानुसार तय करते हुए हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण सोहनी देवी वगैरह के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है।

32. सर्वप्रथम मृतक की आयु के संबंध में विचार किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा मृतक की आयु के संबंध में कोई स्वतंत्र दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र अथवा आधार कार्ड आदि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि पत्रावली पर उपलब्ध **फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श 11** एवं **पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-12** में मृतक श्रवणराम की आयु **55**

वर्ष अंकित की गई है। उक्त दोनों दस्तावेज घटना के तत्काल उपरांत तैयार किए गए हैं तथा इनमें अंकित आयु का किसी पक्ष द्वारा कोई प्रतिवाद भी नहीं किया गया है। इसलिए उपलब्ध चिकित्सीय एवं पुलिस अभिलेखों के आधार पर यह न्यायालय मृतक श्रवणराम की दुर्घटना के समय आयु **55 वर्ष** होना स्वीकार करता है।

33. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, प्रार्थीगण का कथन है कि मृतक श्रवणराम वर्ष 1992 से वर्ष 2018 तक विदेश में कारीगर/मजदूर के रूप में कार्य करता था तथा लॉकडाउन के कारण भारत लौटने के पश्चात् अपने गांव के आसपास के क्षेत्रों में भवन निर्माण के ठेके लेकर लगभग 50,000/– प्रतिमाह अर्जित करता था। इस संबंध में ए.डब्ल्यू.01 सोहनी देवी एवं ए.डब्ल्यू.03 महावीर ने मौखिक साक्ष्य दी है। साथ ही प्रार्थीगण ने मृतक के विभिन्न अवधियों के पासपोर्ट प्रदर्श–15 से प्रदर्श–17 एवं विदेश में प्रयुक्त वेतन/सैलरी कार्ड प्रदर्श–18 से प्रदर्श–25 अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि मृतक ने पूर्व में दीर्घ अवधि तक विदेश में कार्य किया था। किन्तु उक्त दस्तावेजों में कहीं भी मृतक के वेतन अथवा आय का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। स्वयं ए.डब्ल्यू.03 महावीर ने अपनी **जिरह** में स्वीकार किया है कि प्रदर्श–18 से प्रदर्श–25 में मृतक के वेतन का अंकन नहीं है तथा इन तथाकथित सैलरी कार्डों का किसी सक्षम अधिकारी अथवा संस्था से सत्यापन भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार ए.डब्ल्यू.01 सोहनी देवी ने भी स्वीकार किया है कि मृतक की ठेकेदारी अथवा वर्तमान आय के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

34. अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि मृतक पूर्व में विदेश में कार्य करता था तथा भारत लौटने के पश्चात् भवन निर्माण संबंधी कार्य से जुड़ा हुआ था, किन्तु यह विश्वासपूर्वक सिद्ध नहीं होता कि दुर्घटना के समय उसकी वास्तविक मासिक आय 50,000/– थी। मृतक की उक्त आय के समर्थन में कोई वेतन प्रमाण–पत्र, आयकर विवरणी, बैंक खाता विवरण, ठेकेदारी संबंधी दस्तावेज अथवा अन्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। फलतः केवल मौखिक कथनों के आधार पर मृतक की मासिक आय 50,000/– स्वीकार किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में मृतक की आय का निर्धारण अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा विधि द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार किया जाना उचित होगा।

35. उपरोक्त परिस्थितियों में मृतक की आय का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्य एवं दुर्घटना की तिथि पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। यद्यपि मृतक भवन निर्माण संबंधी कार्य करता था, तथापि उसके कौशल की श्रेणी एवं वास्तविक आय के संबंध में कोई विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिक की मजदूरी को आधार बनाना न्यायोचित है। अतः उसे **अकुशल श्रमिक** मानते हुए दुर्घटना दिनांक **20.07.2021** को राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित **259 प्रतिदिन** की न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार मृतक की मासिक आय **7,770/– (259 × 30 दिन)** निर्धारित की जाती है। आगे प्रतिकर की गणना इसी आय के आधार पर की जाएगी।

36. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के आधार पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरुद्ध निम्न प्रकार से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी होना पाये जाते है।–

(A) धन संबंधी/आर्थिक हानि (For Pecuniary Damage)

i. आय का निर्धारण – (Income) :–

37. उपरोक्त विवेचनानुसार मृतक श्रवणराम को **अकुशल श्रमिक** मानते हुए दुर्घटना दिनांक **20.07.2021** को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.05.2019 के अनुसार निर्धारित **259 प्रतिदिन** की न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाया जाता है। इस प्रकार मृतक श्रवणराम की मासिक आय **7,770/– (259 × 30 दिन)** निर्धारित की जाती है।

(ii) भावी वृति (Future Income) रुपये

38. न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) ACTC (SC) 1201, National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि– 'स्वनियोजित व्यक्ति के मामले में भावी प्रत्याशा परिकलन की आवश्यक विधि के रूप में जहां मृतक स्वनियोजित था या नियत वेतन पर कार्यरत था वहां यदि उसकी आयु 40 वर्ष से कम होने की दशा में साबित आय का 40 प्रतिशत जोडा जाना वांछित है जहा मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच है, वहां 25 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये तथा जहां मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु का बीच का हो वहां 10 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये साबित आय का आशय है, टेक्स की राशि कम किये जाने के बाद शेष आय।"

39. उक्त सिद्धान्त अनुसार मृतक श्रवणराम के आयु वर्ग को दृष्टिगत रखते हुये उसकी मासिक आय **7,770/–** रुपये में 10 प्रतिशत राशि अर्थात 777/– रुपये (राउण्ड फिगर में 777/–) भविष्य की बढ़ोतरी के रूप में होने वाली आय को जोड़े जाने पर मृतक की कुल मासिक आय **8547/– रुपये,** होना अवधारित की जाती है।

(iii) आश्रियता की हानि (Dependancy) :–

40. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण का यह अभिकथन है कि मृतक पर उसकी पत्नी, माता–पिता एवं दोनों पुत्र आश्रित थे। ए.डब्ल्यू.01 सोहनी देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मृतक ही समस्त परिवार का भरण–पोषण करता था तथा उसके दोनों पुत्र भी मृतक पर आश्रित थे। जिरह में उसने यह स्वीकार किया है कि बड़ा पुत्र रूपाराम पत्थर का कार्य करता है तथा महावीर घर पर परचूनी की दुकान संचालित करता है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि दोनों पुत्र विवाहित हैं तथा उनकी संतानें हैं। इसी प्रकार ए.डब्ल्यू.03 महावीर ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि मृतक उसका एवं उसके भाई का पालन–पोषण करता था। यद्यपि जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसका भाई रूपाराम खेती का कार्य करता है तथा वह स्वयं घर पर दुकान चलाता है, तथापि मात्र इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दोनों पुत्र पूर्णतः आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे अथवा उन्हें मृतक से किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं होता था। यह सर्वविदित है कि ग्रामीण परिवेश में संयुक्त परिवार व्यवस्था के अंतर्गत परिवार

के विभिन्न सदस्य अपनी–अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हुए भी परिवार के मुखिया की आय पर आंशिक अथवा पर्याप्त रूप से आश्रित रहते हैं। केवल किसी प्रकार का व्यवसाय, खेती अथवा परचूनी की दुकान संचालित करना यह सिद्ध नहीं करता कि संबंधित व्यक्ति पूर्णतः आत्मनिर्भर था और उसे परिवार के मुखिया से कोई आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं होता था। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई स्वतंत्र एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि रूपाराम एवं महावीर की स्वतंत्र आय इतनी पर्याप्त थी कि वे मृतक पर किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं थे। अतः केवल जिरह में किए गए उक्त कथनों के आधार पर उन्हें मृतक का अनाश्रित नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दुर्घटना के समय प्रार्थी संख्या 1 सोहनी देवी (पत्नी), प्रार्थी संख्या 2 रूपाराम, प्रार्थी संख्या 3 महावीर तथा प्रार्थी संख्या 4 कालूराम (पिता) एवं प्रार्थीया संख्या 5 धापू देवी (माता) सभी मृतक पर आश्रित थे। अतः मृतक के व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय की कटौती आश्रितों की उक्त संख्या को दृष्टिगत रखते हुए की जाना न्यायोचित होगा।

41. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सरला वर्मा विनिर्णय (2009) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेज 121** में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

> 14. Though in some cases the deduction to be made towards personal and living expenses is calculated on the basis of units indicated in Trilok Chandra, the general practice is to apply standardized deductions. Having considered several subsequent decisions of this court, we are of the view that where the deceased was married, the deduction towards personal and living expenses of the deceased, should be one–third (1/3rd) where the number of dependent family members is 2 to 3, one–fourth (1/4th) where the number of dependant family members is 4 to 6, and one–fifth (1/5th) where the number of dependant family members exceed six.

42. फलस्वरूप, आश्रितता की हानि (Loss of Dependency) की गणना पांच आश्रितों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी तथा मृतक के व्यक्तिगत एवं जीवन–निर्वाह व्यय की 1/4 **कटौती** की जाएगी। इसलिये उक्त आय **8547**/– रुपये में से **1/4** भाग अर्थात् 2136.75/– रुपये (राउण्ड फिगर में 2137/–) निजी व्यय के रूप में कम करने पर मृतक श्रवणराम द्वारा परिवार के लिये की जाने वाली अंशदान राशि **6410/–** रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है।

(iv) गुणक का निर्धारण (Multiplier) रुपये

43. पूर्व विवचेनानुसार मृतक श्रवणराम को 51 से 55 वर्ष की आयु की व्यक्ति होना अवधारित किया गया है।

44. मोटर वाहन अधिनियम एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सरला**

वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सिविल अपील संख्या 3483/08 निर्णय दिनांक 15.04.2009 विनिर्णय अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में **11** का गुणंक प्रयोग में लिया जाता है।

6410 X 12 X 11 = 8,46,120/– रुपये

<u>(B) गैर धन सम्बन्धी / गैर आर्थिक हानियां (Non Pecuniary Damages) रुपये</u>

(i) प्यार, स्नेह, वंचना सहचर्य सुख से वंचित होने पर हानि (Loss of consortium) रुपये

45. जहां तक मृतकों की मृत्यु के परिणास्वरूप प्यार, वंचना, स्नेह के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **Civil Appeal No(s).9233/2022 [Special Leave Petition (Civil) No.10860/2021] Harpreet Kaur & Ors. vs Mohinder Yadav & Ors तथा Magma General Insurance Co. Ltd. vs Nanu Ram and others, 2018 ACJ 2782** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धातों की रोशनी में तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर द्वारा **एस.बी. सिविल मिसलेनियस अपील नम्बर 730/2000 श्रीमती खुमानी बाई एवं अन्य बनाम मोहनलाल वगै.** में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में मृतक श्रवणराम का प्रार्थीगण का पति, पिता एवं पुत्र होने के कारण **कंसोर्टियम** के रूप में प्रत्येक प्रार्थी को 44,000 हजार रुपये दिलाया जाना न्यायोचित है। यह निर्धारण न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) ACTC (SC) 1201, National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi** में पारित दिशानिर्देशों के अनुरूप दस प्रतिशत बढ़ोतरी एक बार कर दी गई है, जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है–

> 54. As far as the conventional heads are concerned, we find it difficult to agree with the view consortium and Rs. 1,00,000/– towards loss of care and guidance for minor children. The head relating to loss of care and minor children does not exist. Though Rajesh refers to Santosh Devi, it does not seem to follow the same. The conventional and traditional heads, needless to say, cannot be determined on percentage basis because that would not be an acceptable criterion. Unlike determination of income, the said heads have to be quantified. Any quantification must have a reasonable foundation. There can be no dispute over the fact that price index, fall in bank interest, escalation of rates in many a field have to be noticed. The court cannot remain oblivious to the same. There has been a thumb rule in this aspect. Otherwise, there will be extreme difficulty in determination of the same and unless the thumb rule is applied, there will be immense

variation lacking any kind of consistency as a consequence of which, the orders passed by the tribunals and courts are likely to be unguided. Therefore, we think it seemly to fix reasonable sums. It seems to us that reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs. 15,000/-, Rs. 40,000/- and Rs. 15,000/- respectively. The principle of revisiting the said heads is an acceptable principle. But the revisit should not be fact-centric or quantum-centric. We think that it would be condign that the amount that we have quantified should be enhanced on percentage basis in every three years and the enhancement should be at the rate of 10% in a span of three years. We are disposed to hold so because that will bring in consistency in respect of those heads.

(ii) **दाह संस्कार (Funeral Expenses) रुपये**

46. मृतक के अंतिम संस्कार, क्रियाकर्म व पश्चात्वर्ती अन्य धार्मिक रीति रिवाज पर हुये व्यय हेतु प्रतिकर **16,500/-** रुपये।

(iii) **सम्पति की हानि हेतु (Loss of estate)** क्लेम याचिका के प्रार्थीगण को **16,500/-** रुपए देय होंगे ।

47. इस प्रकार मृतक श्रवणराम की मृत्यु पर प्रार्थी को देय कुल प्रतिकर राशि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

क्र. सं.	**किस मद में क्षतिपूर्ति दिलायी गयी**	**क्षतिपूर्ति राशि रुपये में**
1.	आय की क्षति के लिये	**8,46,120**
2.	प्यार,स्नेह एवं वंचना से वंचित होने पर 44,000X5 = 2,20,000	2,20,000
3.	दाह संस्कार	16,500
4.	सम्पत्ति की हानि	16,500
	कुल	**10,99,120/-**

-:अनुतोषः-

48. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के अनुरूप विवाद्यक संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध व विवाद्यक संख्या 3 प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णीत किये गये हैं। वक्त दुघर्टना अप्रार्थी सं. 1 प्रश्नगत वाहन का चालक, अप्रार्थी संख्या 2 का स्वामी होना एवं अप्रार्थी सं. 3 के प्रश्नगत वाहन का बीमाकर्ता होने का विवाद्यक तथ्य

साबित होना पाया गया है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 3 से संयुक्ततत: व पृथकतः कुल प्रतिकर राशि **10,99,120/– रूपये मात्र** क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 08.10.2021 से ताअदायगी 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित प्राप्त करने के हकदार है।

पंचाट

49. अतः प्रार्थीगण की क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 आंशिक रूप से स्वीकार कर अंतिम पंचाट इस प्रकार से पारित किया जाता है कि प्रार्थीगण सोहनी देवी वगैरह **अप्रार्थी सं. 3** से संयुक्तः व पृथकतः राशि **10,99,120/– रूपये मात्र** क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 08.10.2021 से ताअदायगी 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

50. प्रार्थीगण ने पूर्व में यदि धारा 140 मोटरवाहन अधिनियम के तहत कोई प्रतिकर राशि प्राप्त कर ली हो, तो वह राशि उपरोक्त अंतिम पंचाट की राशि में समायोजित होगी।

51. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कम्पनी आगामी तीस दिवस की अवधि में ब्याज एवं अवार्ड की राशि अधिकरण के बैंक खाता संख्या 3545000102687050 पंजाब नेशनल बैंक, डीडवाना शाखा नागौरी गेट, डीडवाना IFSC NO. PUNB0354500 में जरिए NEFT/ RTGS मोड से जमा करावे तथा इसकी सूचना इस अधिकरण को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित ए सी टी सी 2019 (1) पेज 111 में दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करें ।

52. याचिका में अवार्ड व ब्याज राशि का भुगतान इस अधिकरण को प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण को अवार्ड राशि निम्नानुसार प्रदान की जावे–

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	आयु	मृतक से संबंध	बचत खाता में देय नकद राशि	मियादी जमा खाता में देय राशि	मियादी जमा खाता में जमा राशि अवधि
1.	सोहनी देवी	43 साल	पत्नी	3,39,120 मय ब्याज	2,00,000	02 वर्ष के लिए
2.	रूपाराम	25 साल	पुत्र	70,000	50,000	02 वर्ष के लिए
3.	महावीर	23 साल	पुत्र	70,000	50,000	02 वर्ष के लिए
4.	कालूराम	75 साल	पिता	1,00,000	60,000	02 वर्ष के लिए
5.	धापू देवी	72 साल	माता	1,00,000	60,000	02 वर्ष के लिए

53. प्रार्थीगण उक्त एफडी पर बिना न्यायालय की अनुमति के ऋण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे एवं ना ही समय पूर्व भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे ।

54. अवार्ड की एक प्रति अप्रार्थी सं. 3 बीमा कम्पनी को पालना हेतु निःशुल्क दी जावे।

(मनोरमा मीणा)
न्यायाधीश
मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, डीडवाना
(अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना)

55. आदेश आज दिनांक **17.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोरमा मीणा)
न्यायाधीश
मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, डीडवाना
(अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना)